न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 19/2021, जिला सीकर

1. बाबू लाल पुत्र स्व. श्री नाथू, जाति–धोबी, निवासी–भगवानपुरा, तहसील–दांतारामगढ, जिला–सीकर, राजस्थान।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. सुगनचन्द पुत्र स्व. श्री नारायण राम ,
2. सुरजी देवी पुत्री स्व. श्री नारायण राम,
3. कमला देवी पुत्री स्व. श्री नारायण राम,
4. रामदेवी पुत्री स्व. श्री नारायण राम,
5. चम्पा देवी पुत्री स्व. श्री नारायण राम,
6. विमला देवी पुत्री स्व. श्री नारायण राम,
7. श्रीमती मूली देवी पुत्री स्व. श्री नारायण राम,
   समस्त जातियान–धोबी, निवासीयान–ग्राम भगवानपुरा (अलोदा), तहसील–दांतारामगढ, जिला–सीकर, राजस्थान।
8. राज्य सरकार जरिये (भूमिधारी) जरिये तहसीलदार, तहसील–दांतारामगढ जिला सीकर, राजस्थान।

–रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ, जिला सीकर निर्णय दिनांक 05.01.2021

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

उपस्थित–

1. श्री प्रकाश चन्द्र भारती, वकील अपीलान्ट
2. श्री भगवान सहाय शर्मा, वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1 से 7
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 8 की ओर से।

निर्णय

दिनांक –19.10.2022

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 05.01.2021 के खिलाफ प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि कृषि भूमि पुराने खसरा नम्बर 202 लगायत 205 किता कुल रकबा 9 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम भगवानपुरा पटवार हल्का अलोदा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित रही है। जिसमें हिस्सा 1/4 की खातेदारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 7 के पिता नारायण पुत्र भूरा के नाम से दर्ज है। उपरोक्त भूमियों में नये खसरा नम्बर 488 लगायत 491 कुल किता 4 कुल रकबा 2.48 है0 वाके ग्राम भगवानपुरा पटवार हल्का अलोदा, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर नव–सृजित हुये है। रेस्पोंडेन्ट के पूर्वज पिता/पति नारायण पुत्र भूरा का स्वर्गवास दिनांक 07.10.1980 को हो गया। उक्त नारायण के पिता का नाम भूरा था जो कि पुराने राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2035 से 2038 तक सही रूप से अंकन रहा है परन्तु इसके बाद के राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेन्ट के पूर्वज नारायण के पिता का नाम भूरा के स्थान पर राजस्व कर्मचारियों अधिकारियों की भूलवश या सहवन से अथवा लापरवाही से नारायण पुत्र भूदा दर्ज हो गया । जिसे दुरूस्त करवाने बाबत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 7 ने अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर के समक्ष एक दावा रिकार्ड दुरूस्ती व धारा 136 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में रेस्पोडेन्ट के पूर्वज नारायण के पिता का नाम भूदा के स्थान पर भूरा

Scanned with OKEN Scanner

किये जाने हेतु प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट का दावा उद्घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेन्टस के पिता/पति का नाम नारायण पुत्र भूदा के स्थान पर रेस्पोडेन्ट के पिता/पति का सही व वास्तविक नाम नारायण पुत्र भूदा दर्ज करने के आदेश दिये गये तथा दावा डिक्री कर तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर को तहरीर जारी की गयी।

3. उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 05.01.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट बाबू लाल पुत्र स्व. श्री नाथू द्वारा यह अपील प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियमएवं 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर 05.01.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि उक्त उनवानी प्रकरण में प्रार्थी को विवादित आदेश की जानकारी नहीं थी। क्योंकि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट को पक्षकार नहीं बनाया गया था। प्रार्थी को जब जानकारी हुई तो नकल का आवेदन किया और दिनांक 23.02.2021 को नकल प्राप्त की और बिना देरी के श्रीमान के यहॉ अपील पेश कर दी। उक्त देरी को क्षम्य किया जावे। आराजी कृषि भूमि पुराने खसरा नम्बर 202 लगायत 205 कुल किता 04 कुल रकबा 9 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम भगवानपुरा, पटवार हल्का अलोदा, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर राजस्थान में स्थित है। उपरोक्त कृषि भूमि के नये खसरा नंबर 488 लगायत 491 कुल किता 4 कुल रकबा 2.48 हैक्टेयर वाके ग्राम भगवानपुरा, पटवार हल्का अलोदा, तहसील–दांतारामगढ जिला सीकर नव सृजित हुये है। इस संबंध में अधिनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, दांतारामगढ सीकर के समक्ष रेस्पोडेन्ट 01 लगायत 07 ने एक दावा बाबत रिकार्ड दुरूस्ती व धारा 136 एल.आर.एक्ट का पेश किया। जिसका निस्तारण दिनांक 05.01.2021 को दावा डिक्री करके कर दिया गया। विवादित कृषि भूमि के संबंध में अपीलान्ट ने न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर के समक्ष एक दावा बाबत घोषणा, बंटवारा, स्थाई निषेघाज्ञा एवं रिकार्ड संशोधन का पेश कर रखा है। जिसमें यह इस्तदुआ चाही गई है कि विवादित कृषि भूमि खसरा नंबर 488 लगायत 491 कुल किता 04 कुल रकबा 2.48 हैक्टेयर तन ग्राम भगवानपुरा, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर की भूमि में दर्ज खातेदार नारायण पुत्र भूरा के नाम 1/2 हक व हिस्से की खातेदारी में से 1/4 हक व हिस्से की खातेदारी हजफ की जाकर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 03 व 04 को उनके पैतृक हिस्से 1/4 का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे और उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जावे और उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जावे तथा इसी दावे वादी ने बंटवारे व स्थाई निषेधाज्ञा की भी इस्तदुआ मांगी गई थी। जो दावा माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। वादी का वाद विचाराधीन होने के बावजूद भी रेस्पोडेन्ट नंबर 1 लगायत 7 ने दिनांक 09.07.2020 को विवादित भूमि के संबंध में दावा पेश करके राजस्व रिकार्ड दुरूस्ती का दावा डिक्री करवा लिया तथा अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया और माननीय अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य पेश करके निर्णय व डिक्री पारित करवा ली। विवादित कृषि भूमि अपीलान्ट की पैतृक सम्पत्ति है। जिसमें हिस्सों का गलत इन्द्राज किया गया है। इसलिए अपीलान्ट ने दुरूस्ती का दावा उसी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश कर रखा है। जिसका निस्तारण अभी तक नहीं हुआ है। इसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट नंबर 01 लगायत 07 ने आवश्यक पक्षकार अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाकर अधिनस्थ न्यायालय से अवैधानिक डिक्री करवा लिया तथा अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया और माननीय अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य पेश करके निर्णय व डिक्री

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

पारित करवा ली, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त पहलुओं पर विचार न करते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.01.2021 पारित करने में कानूनी गलती की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर दिनांक 05.01.2021 निरस्त किया जावे।

6. वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 7 द्वारा राजस्व वाद संख्या 47/2020 प्रस्तुत कर वादपत्र में मुख्य रूप से कथन किया कि विवादग्रस्त भूमि जमाबंदी सम्वत 2035 से 2038 तक वादीगण के पिता पति नारायण पुत्र भूरा के स्थान पर नारायण पुत्र भूदा दर्ज कर दिया, जिस कारण से वादीगण का विरासत का नामान्तरकरण नहीं खुल रहा, इसलिये नारायण पुत्र भूदा का रिकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। तथा वादीगण द्वारा वादपत्र में अनुतोष चाहा कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर रिकार्ड में संशोधन इस आशय का किया जावे कि वादीगण के पिता का नाम नारायण पुत्र भूदा को दुरूस्त कर नारायण पुत्र भूरा संशोधित कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यह कि अधिनस्थ न्यायालय दांतारामगढ द्वारा अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.01.2021 द्वारा वादीगण के पिता/पति का नाम नारायण पुत्र भूदा के नाम को दुरूस्त कर उसके स्थान पर नारायण पुत्र भूदा के नाम को दुरूस्त कर उसके स्थान पर नारायण पुत्र भूरा संशोधित करने की उद्घोषणा की गई। यह कि उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.01.2021 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है, कानूनन डिक्री नियमित वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत करने पर ही सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत करने पर ही सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत तैयार की जाती है। माननीय न्यायालय को डिक्री के विरूद्ध अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है, केवल मात्र भू–राजस्व अधिनियम के तहत पारित निर्णय के विरूद्ध ही अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इसलिये प्रस्तुत अपील माननीय न्यायालय के समक्ष पोषणीय नहीं होने कारण सरसरी तौर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

7. राजकीय अधिवक्ता ने भी बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ ने तहसीलदार दातारामगढ की तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांट को जारी नकल दिनांक 23.02.2021 को प्राप्त होना बताया गया है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। अपीलांट प्रभावित पक्षकार होने से प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधिनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, दांतारामगढ सीकर द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत रिकार्ड दुरूस्ती व धारा 136 एल.आर.एक्ट का निस्तारण दिनांक 05.01.2021 को दावा डिक्री करके कर दिया गया। धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश प्रार्थना पत्र के आधार पर राजस्व अभिलेख में रही लिपिकीय/टंकण त्रुटि को दुरूस्त किये जाने का प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत् पेश प्रार्थना पत्र को दावा की तरह स्वीकार कर निर्णय एवं डिक्री जारी की गई है

Scanned with OKEN Scanner

जो विधि की गंभीर त्रुटि में आती है। ऐसी स्थिति में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ जिला सीकर का निर्णय दिनांक 05.01.2021 निरस्त किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षों को सुनकर पुनः धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप विधिसम्मत् निर्णय पारित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. गिरीश पाराशर)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner